

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 13.09.2021

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही—

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलो में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल-06 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

02 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार—

गोण्डा। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में चलाये जा रहे वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के अभियान में जनपद गोण्डा के थाना उमरीबेगमगंज पुलिस ने 01 तथा थाना नवाबगंज पुलिस ने 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही—:

01. थाना को0 नगर द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. राजकुमार यादव पुत्र रिखीराम यादव नि0 दत्तनगर थाना को0 नगर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-711/21, 02. शिव शंकर मिश्रा पुत्र हौसला प्रसाद नि0 बसवरिया दत्त नगर थाना को0 नगर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-714/21, 03. अमर सिंह पुत्र ईश्वर सिंह नि0 ग्राम लोहंगी पुरवा मौजा बनवरिया थाना को0 नगर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-715/21, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

02. थाना उमरीबेगमगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. अनीश पुत्र जब्बार नि0 चिवरहा थाना तरबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-144/21, 02. अमन सिंह पुत्र राधेश्याम सिंह नि0 चिवरहा थाना तरबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-145/21, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

03. थाना वजीरगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. खूंटी पुत्र ठिलई नि0 ग्राम पसापुर महडौर थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-312/21, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

04. थाना नवाबगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. पवन राणा पुत्र सहदेव नि0 खेमपुर मौजा जैतपुर मांझा थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 40 ली0 अवैध कच्ची अपमिश्रित शराब, 04 किलो0 यूरिया व नौसादर बरामद कर मु0अ0सं0-296/21, धारा 60 आबकारी अधि0, 272 भादवि के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 13.09.2021

चोरी करने के 02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार:-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अपराधियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना को० नगर पुलिस ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान चोरी करने के 02 वांछित अभियुक्तों-01. पिकल उपाध्याय, 02. रवि मिश्रा को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी किया हुआ सामान बरामद किया गया। उक्त अभियुक्तों ने दिनांक 09.09.2021 को वादी राकेश कुमार गुप्ता पुत्र भगवान प्रसाद गुप्ता नि० जानकी नगर थाना को० नगर जनपद गोण्डा की किराने की दुकान का ताला तोड़कर किराने का सामान व गल्ले में रखे पैसे चोरी कर लिए थे। जिसके सम्बन्ध में वादी द्वारा थाना को० नगर में अभियोग पंजीकृत कराया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

01. पिकल उपाध्याय पुत्र संतोष उपाध्याय नि० जानकी नगर कालोनी थाना को० नगर जनपद गोण्डा।
02. रवि मिश्रा पुत्र रघुवर दयाल मिश्रा नि० आवास कालोनी थाना को० नगर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु०अ०सं०-717/21, धारा 457,380,411 भादवि थाना को० नगर जनपद गोण्डा।

बरामदगी:-

01. 01 बोरी प्लास्टिक दोना।
02. 01 बोरी पालकी ब्रान्ड चावल।
03. 01 बोरी खुला चावल।
04. 07 किलो दाल, 08 ली० सरसो का तेल।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

उ०नि० ऋषिकेश मणि त्रिपाठी मय टीम।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल जनपद गोण्डा
दिनांक 13.09.2021

अवैध तमंचे के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार—

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में अवैध शस्त्र रखने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना इटियाथोक पुलिस द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान अभियुक्त जवाहिर सोनकर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा 12 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस बरामद किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त—

01. जवाहिर सोनकर पुत्र गया प्रसाद उर्फ गबने नि० भवनियापुर खुर्द थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु०अ०सं०—316/21, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।

बरामदगी—

01. 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस।

गिरफ्तार कर्ता—

01. उ०नि० शिवलखन सिंह मय हमराह।

